



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 अग्रहायण 1944 (श10)
(सं0 पटना 1071) पटना, सोमवार, 12 दिसम्बर 2022

परिवहन विभाग

अधिसूचना
9 दिसम्बर 2022

सं० 05/स्था0—(नियुक्ति)—01—15/2022/9514—बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार परिवहन सेवा के अन्तर्गत अपर जिला परिवहन पदाधिकारी एवं समकक्ष पद पर नियुक्ति हेतु 30 चयनित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन वेतन लेवल-7 एवं अनुमान्य भत्तों सहित औपबधिक रूप से परीक्ष्यमान रूप में नियुक्त करते हुए परिवहन विभाग (मुख्यालय) में योगदान करने का निदेश दिया जाता है:—

क्र० सं०	नाम	जन्म तिथि	गृह जिला	संयुक्त मेधा क्रमांक	अनुशंसित कोटि
1	AAKASH	06-04-1997	मोतिहारी	13	अनारक्षित
2	SALIL PRASHANT	15-12-1993	वैशाली	15	अनारक्षित
3	SNEHA AGARWAL	31-05-1997	पटना	19	अनारक्षित
4	PRATEEK KUMAR	15-02-1996	मधुबनी	26	अनारक्षित
5	VIVEKANAND MISHRA	17-11-1994	सुपौल	31	अनारक्षित
6	ZEESHAN AHMAD	01-08-1995	दरभंगा	34	अनारक्षित
7	DIBYA PRAKASH	20-04-1991	हजारीबाग (झारखंड)	35	अनारक्षित
8	KARISHMA SINGH	10-09-1992	पटना	36	अनारक्षित
9	SHARDA NANDAN RAJU	14-12-1985	पटना	43	पिछड़ा वर्ग

क्र० सं०	नाम	जन्म तिथि	गृह जिला	संयुक्त मेधा क्रमांक	अनुशंसित कोटि
10	ALOK RAJ SINGH	13-12-1996	भोजपुर	44	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
11	RISHAV ANAND	27-02-1997	बेगूसराय	46	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
12	SAURAV KUMAR	05-01-1996	नालंदा	60	पिछड़ा वर्ग
13	BABY KUMARI	08-05-1993	औरंगाबाद	67	अनारक्षित
14	RUCHI PRIYA	02-10-1991	रोहतास	68	अनारक्षित
15	RAJU KUMAR	10-09-1998	बेतिया	76	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
16	GAURAV LAL	28-04-1996	गया	108	पिछड़ा वर्ग (FFD)
17	NISHA RAJ	19-11-1998	समस्तीपुर	132	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
18	CHANDNI SRIKRISHNA	21-11-1994	पटना	139	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
19	SAKSHI PRIYA	23-10-1997	मुजफ्फरपुर	149	पिछड़ा वर्ग
20	NAVENDU SHEKHAR	12-12-1994	बेतिया	173	अनुसूचित जाति
21	PINKU KUMAR	05-07-1990	गोपालगंज	192	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
22	PALLAVI KUMARI	04-05-1991	गया	205	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
23	YASHI GUPTA	12-08-1995	शिवहर	207	पिछड़े वर्गों की महिलाएँ
24	SULEMAN ALAM	22-05-1994	मोतिहारी	234	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
25	AMAR JYOTI	06-02-1997	पटना	297	अनुसूचित जाति
26	JITENDRA KUMAR	10-12-1991	रोहतास	355	अनुसूचित जाति
27	AMIT KUMAR	05-11-1991	नालंदा	489	अनारक्षित (दृष्टि दिव्यांग)
28	BASUNDHARA PRIYADARSHINI	30-11-1990	दरभंगा	660	अनुसूचित जाति
29	SONAM KUMARI	17-10-1993	रोहतास	771	अनुसूचित जाति
30	AJAY KUMAR HANSDA	06-08-1995	मधेपुरा	795	अनुसूचित जन- जाति

2. सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों की परीक्ष्यमान अवधि 2 वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।

3. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित शपथ-पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्ट्या सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

4. अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों का संबंधित बोर्ड/संस्था से सत्यापन तथा चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तब संबंधित पदाधिकारी की सेवा तत्कालिक प्रभाव से रद्द कर दी जायेगी एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकेगी।

5. प्रत्येक अभ्यर्थी योगदान करने के समय सिविल सर्जन से प्राप्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे, अन्यथा उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा।

6. प्रत्येक अभ्यर्थी योगदान करने के समय इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके विरुद्ध कोई अपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। यदि पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं अन्य समर्पित प्रमाण-पत्र में प्रतिकूल बातें पायी जाती है, तो उनकी पात्रता रद्द करने का अधिकार नियोक्ता का होगा।

7. सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919, दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने/न देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान करते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

8. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं०-1964, दिनांक-31.08.2005 एवं 768, दिनांक-03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना (NPS) लागू होगी।

9. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10. पूर्व से सेवार्त अभ्यर्थी विधिवत् रूप से विरमित/त्याग पत्र स्वीकृत होने के पश्चात ही उनका योगदान स्वीकार किया जायेगा।

11. सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि निर्गत अधिसूचना के आलोक में अपना योगदान परिवहन विभाग (मुख्यालय) में समर्पित करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
पंकज कुमार पाल,
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1071-571+100-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>